न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 37/08

1. करतार सिंह आत्मज श्रीपाल सिंह आयु 50 वर्ष जाति सख निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मंगल सिंह आत्मज करतार सिंह
   1/2. सुधा सिंह आत्मज करतार सिंह
   1/3. कालू उर्फ सुखवेन्द्र सिंह आत्मज करतार सिंह जातियानर सिख निवासीगण ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती चन्दन कौर बेवा श्री करतार सिंह जाति सिख निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
   1/5. श्रीमती मितो पत्नी श्री अमीर सिंह जाति सिख निवासी कालपुरिया तहसील व जिला बून्दी ।
   1/6. श्रीमती जीतो पत्नी री बलवेन्द्र सिंह जाति सिख निवासी ग्राम गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी ।
   1/7. रीमती बिरो बेवा श्री मोहन सिंह जाति सिख निवासी ग्राम मोरो जिला जालन्धर (पंजाब) ।
   1/8. श्रीमती पोली पत्नी श्री बाज सिंह जाति सिख निवासी बावडी खेडा तहसील व जिला बून्दी ।
   1/9. रजवेन्द्र कौर पत्नी श्री सर्वजीत सिंह जाति सिख निवासी मण्डावरी तहसील व जिला बून्दी ।
   1/10. श्रीमती कुलवन्त कौर पत्नी श्री गुरूदयाल सिंह जाति सिख निवासी बिसरामा की झौपडियॉ (बालापुरा के पास) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/11. श्रीमती परमजीत कौर उर्फ चुग्गो पत्नी श्री गोपाल सिंह जाति सिख निवासी पंजाबी नगर तहसील व जिला भरतपुर ।
2. बक्षीस सिंह आत्मज श्री पाल सिंह जाति सिख निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लालचन्द आत्मज स्वर्गीय श्री घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
2. नन्द लाल आत्मज स्वर्गीय श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री स्वर्गीय श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
4. चरतभुज आत्मज श्री छोगा लाल जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदत्त शर्मा, श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 22.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 01.04.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अन्धेड में आराजी खसरा नम्बर 04 मिन करबा 18 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 मिन रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 31 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा कुल 04 किता की 46 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके नये खसरा नम्बर 278, 279, 280, 281, 282, 283, 301, 281/471 व 277/491 कायम किये गये हैं । उक्त भूमि श्री गोविन्द दत्त आत्मज श्री सूर्यनारायण जाति ब्राह्मण दाधीच व्यास निवासी बून्दी कुछ भूमि श्री रामदत्त आत्मज गोविन्ददत्त के खाते व कब्जे की थी । वादग्रस्त आराजी में से 15 बीघा 08 बिस्वा भूमि को वादीगण क्रम 1 व 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खातेदार श्री गोविन्ददत्त से क्रय कर मौके पर उक्त भूमि पर कब्जा संभाल लिया था । उक्त दोनों विक्रय पत्र दिनाक 23 अप्रेल, 1963 को लिखे गये थे तब से ही उक्त भूमि पर वादी बतौर मालिक खतोदार आसामी के रूप में काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 04 मिन की 10 बीघा वादी क्रम 1 ने दिनांक 18.06.69 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी तब से ही वह उक्त भूमि पर बतौर मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार काश्तकार बन चुके हैं ।

3. अतः पुराने खसरा नम्बर 04 मिन, 31 मिन 47 व 31 में से 15 बीघा 08 बिस्वा पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं इसी प्रकार का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे । खसरा नम्बर 04 मिन रकबा 10 बीघा का वादी क्रम 1 को खातेदार घोषित किया जावे एवं इसी प्रकार का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे मुसफी बून्दी के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1970 की इजराय न करावें और न ही उक्त कृषि भूमि पर से वादीगण को बेदखल करें और न ही किसी अन्य से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2008 के द्वारा वादी का वाद साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 01.04.2008 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में 13/25 हिस्सा रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 2 व 4 का दर्ज है और 12/25 हिस्सा अपीलान्ट क्रम 1/1 व 1/2 का दर्ज है । इसी भूमि की खातेदारी की मांग की गई थी जिनके तत्कालीन खातेदार स्वर्गीय श्री गोविन्ददत्त व्यास तथा श्री रामदत्त व्यास से अपीलान्ट के पिता व काका स्वर्गीय बक्षीस सिंह ने अन्य भूमियों के साथ यह भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी जो सन्

1963 व 1969 में क्रय की थीं । भूमि के खातेदार श्री गोविन्द दत्त एवं रामदत्त का होना रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रतिवादी पत्र की चरण संख्या 1 में स्वीकार किया है । वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद स्पष्ट था और स्वयं प्रतिवादी डी.डब्ल्यू. – 1 चतुर्भुज 1966 से वादीगण का कब्जा भूमि पर होना मानता है इस तथ्य की अनदेखी कर कब्जा मुखालफाना नहीं मानने और तनकी संख्या 3 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध करने में कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 नया खाता संख्या 96 है । उक्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाता है ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत् हक घोषणा का पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से जमाबन्दी की नकल पेश नहीं होने के आधार पर तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादीगण के खिलाफ किया है जबकि वादीगण अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र असल पेश किये हैं । प्रतिवादीगण के गवाह डी.डब्ल्यू.–1 चतुर्भुज ने 1966 से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा माना है फिर भी कब्जा मुखालफाना नहीं मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । वादीगण के द्वारा प्रस्तुत नजीरों पर गौर नहीं किया है । इंतकाल के मामले को अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से अधिक महत्व दिया है । इंतकाल एक समान्य प्रकिया है और जब घोषणा का दावा हो जाता है तो इंतकाल का या इंतकाल की प्रकिया का कानूनन कोई महत्व नहीं होता है । निर्णय दावे का ही अंतिम होता है । उसी आधार पर इंतकाल खुलते हैं इस तथ्य को नहीं समझकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की बहस हो जाने के उपरान्त प्रतिवादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया है । वादी को रिबटल में दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं दिया है । रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण किसी लश्करी से वादग्रस्त आराजी को क्रय करना बताते हैं परन्तु उनके द्वारा कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं । सिविल न्यायालय को राजस्व भूमि के बाबत् निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2008 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में एआईआर (एससी) 2003 पेज 1905, आरबीजे (1) 1994 पेज 50 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण ने क्रय की है और कब्जा प्राप्त किया है उनके पक्ष में जो विक्रय है वह प्रथम विक्रय है । ऐसी स्थिति में बाद के विक्रय के आधार पर वादीगण अपीलान्ट को कोई अधिकार

प्राप्त नहीं होते हैं । वादीगण ने हक, घोषणा का दावा पेश किया है परन्तु उनके द्वारा जो विक्रय पत्र पेश किये गये हैं उनमें क्रय की जाने वाली आराजी का स्पष्ट विवेचन अंकित नहीं है । वादीगण का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर नहीं है । जहॉ तक दस्तावेजात पेश करने का प्रशन है प्रतिवादी ने बहस के पूर्व ही दस्तावेज पेश किये थे और पेश किये गये दस्तावेज न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतियॉ थी जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट अगर इसके रिबटल में कोई दस्तावेजात पेश करना चाहते थे तो वह अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर सकते थे । वादग्रस्त आराजी के बाबत् वादीगण अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाये हैं । अधीनस्थ न्ययालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2008 खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 1991 (1) आरएलआर पेज 250, 2006 (3) आरएलडब्ल्यू पेज 2079, 2011 आरआरडी पेज 508, 2014 आरआरडी पेज 192, 2002 डीएनजे (एससी) पेज 207 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर असल बयनामा द्वारा गोविन्द दत्त दिनांक 14.08.1963 प्रदर्श– 1, असल बयनामा द्वारा गोविन्द दत्त प्रदर्श– 2, असल बयनामा द्वारा रामदत्त प्रदर्श– 3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 5, मुंसिफ मजिस्ट्रेट बून्दी के निर्णय दिनांक 18.12.1970 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 6 पेश किये हैं ।

11. बयान दुर्गाशंकर पीडब्ल्यू–1, भरतसिंह पीडब्ल्यू–2 कराये हैं ।

12. प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय सहायक जिलाधीश बून्दी के निर्णय दिनांक 07.06.1976 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– ए–1, बयनामा द्वारा गोविन्द दत्त प्रमाणित प्रति प्रदर्श– ए–2 एवं ए–3, एसीएम बून्दी के निर्णय दिनांक 07.04.1978 की प्रति प्रदर्श– ए–4, एसडीओ बून्दी में पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – ए–5, मुंसिफ मजिस्ट्रेट बून्दी के निर्णय दिनांक 18.12.1970 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए – 6 और अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) बून्दी के निर्णय दिनांक 17.09.1984 प्रदर्श– ए–7, तहरीर की फोटो प्रति प्रदर्श– ए–8 एवं ए–9 पेश किये हैं ।

13. प्रतिवादी के द्वारा बयान चतुर्भुज डीडब्ल्यू–1 कराये हैं ।

14. वादी के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 278, 279, 280, 281, 282, 283, 301, 281/471 व 277/491 कुल 09 किता की 43 बीघा 11 बिस्वा आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की प्रार्थना की है । दावे में अंकित पुराने खसरा नम्बर 04 मिन 31 मिन 47 व 31 में से 15 बीघा 08 बिस्वा व खसरा संख्या 04 मिन रकबा 10 बीघा पर खातेदार घोषित होने की प्रार्थना की है । वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उनके पक्ष में 03 विक्रय पत्र लिखकर पंजीकृत कराये है। जिनके आधार पर वादग्रस्त आराजी को वह अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । इस क्रम में तीनों विक्रय अभिलेखों का अवलोकन किया । विक्रय अभिलेख प्रदर्श– 1 खसरा नम्बर 02 रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 03 मिन रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 4/2 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 29 मिन रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 मिन रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा व 31/1 रकबा

02 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 47 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 74 रकबा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 75 रकबा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 96 मिन रकबा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 142 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 143 रकबा 18 बिस्वा में से सिर्फ 10 बीघा का बेचान किया जाना अंकित किया है । विक्रय पत्र प्रदर्श– 2 के अनुसार खसरा नम्बर 02 रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 03 मिन रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 4/2 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 29 मिन रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 मिन रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा व 31/1 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 47 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 74 रकबा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 75 रकबा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 96 मिन रकबा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 142 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 143 रकबा 18 बिस्वा में से सिर्फ 40 बीघा भूमि विक्रय किया जाना अंकित किया है । विक्रय पत्र प्रदर्श– 3 के अनुसार खसरा नम्बर 04 मिन की रकबा 10 बीघा और 5/2 की रकबा 01 बीघा कुल 11 बीघा भूमि का विक्रय किया जाना अंकित किया गया है ।

15. पत्रावली में जो मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं उसका अवलोकन किया गया जो प्रदर्श– 5 है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 278 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 27 मिन, 31 मिन, 44 मिन, 47 मिन हैं । खसरा नम्बर 279 रकबा 19 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 31 मिन से बने हैं । खसरा नम्बर 280 रकबा 15 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 31 मिन एवं 35/1 मिन से बने हैं । खसरा नम्बर 281 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 04 मिन, 31 मिन, 44 मिन, 47 मिन, 48 मिन से बने हैं । खसरा नम्बर 282 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 04 मिन, 47 मिन, 48 मिन से बने हैं । खसरा नम्बर 277/491 रकबा 06 बीघा साबिक खसरा नम्बर 31 मिन, 44 मिन, 77 मिन के बने हैं। हाल खसरा नम्बर 283, 301, 281/471 के साबिक खसरा नम्बर बताते हुए मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है ।

16. वादी के द्वारा जो विक्रय अभिलेख असल पेश किया गया है उनमें से प्रदर्श– 1 और 2 में 12 खसरा नम्बरान में से सिफ 10 बीघा एवं 40 बीघा भूमि का बेचान किया गया जाना अंकित किया है किस खसरा नम्बर की कितनी भूमि है यह स्पष्ट नहीं किया गया है । तीसरे विक्रय अभिलेख प्रदर्श– 3 में खसरा नम्बर 04 मिन की 10 बीघा एवं खसरा नम्बर 5/2 मिन की 01 बीघा कुल 11 बीघा भूमि का विक्रय किये जाने का उल्लेख किया गया है । साबिक खसरा नम्बर 5/2 का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है और साबिक खसरा नम्बर 04 मिन रकबा 03 बीघा हाल खसरा नम्बर 282 में शामिल किया गया है साबिक खसरा नम्बर 04 मिन की 07 बीघा 05 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 281 में शामिल किया गया है । इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर 04 मिन का रकबा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 10 बीघा 05 बिस्वा आ रहा है । विक्रय अभिलेख में इनकी 10 बीघा विक्रय किये जाने का उल्लेख है । वादी अपीलान्ट ने साबिक खसरा नम्बरान के साथ विक्रय कर्ता की जमाबन्दी की नकल पेश नहीं की है । उनके द्वारा दावे में पुराने खसरा नम्बर 04 मिन 18 बीघा 10 बिस्वा 31 मिन रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा व 47 मिन की 09 बीघा 14 बिस्वा, 31 मिन की रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा कुल 04 किता की 46 बीघा 05 बिस्वा भूमि को विवादित बताया गया है जिसके हाल खसरा नम्बर 278, 279, 280, 281, 282, 283, 301, 281/471 व 277/491 कायम होना अवगत करवाया गया है । ये खसरा नम्बर मुताबिक नकल जमाबन्दी खाता संख्या 96 कुल 09 किता की 43 बीघा 11 बिस्वा हैं जो मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 लालचन्द पुत्र घनश्याम, हजारी लाल पुत्र रामनारायण, चतुरभुज पुत्र छोगालाल कौम ब्राह्मण हिस्सा 13/25 व मंगल सिंह, सुखासिंह पि0 करतार सिंह कौम जट सिख हिस्सा 12/25 खातेदारी में दर्ज है । जो

नकल मिलान क्षेत्रफल की पेश किया गया है उसमें हाल खसरा नम्बर 383, 301, 281/471 के साबिक खसरा नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं ।

17. वादी को अपना दावा सिद्ध करना होता है । वादी ने न तो सम्पूर्ण मिलान क्षेत्रफल की नकल पेश की है और न ही विक्रय पत्रों का अवलोकन करने से यह साबित हो पाया है कि वादीगण को कौन से खसरा नम्बर की कितनी आराजी का विक्रय किया गया है । इस प्रकार वादी अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाये हैं ।

18. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अतिरिक्त जिलाधीश बून्दी के निर्णय दिनांक 17.09.1984 की प्रति प्रदर्श– ए–7 के रूप में संलग्न है जिसके अनुसार वादीगण के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त किया गया है और प्रकरण तहसीलदार को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है । इसके उपरान्त तहसीलदारर द्वारा इस प्रकरण में क्या निर्णय पारित किया गया है यह अपीलान्ट वादी ने स्पष्ट नहीं किया है ।

19. जहॉ तक कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का प्रश्न है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । प्रतिवादीगण का यह कथन भी दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त आराजी के वह खातेदार कृषक हैं क्योंकि इसका आधार वो खातेदार कृषक के द्वारा दिनांक 13.01.1982 को दुर्गालाल लश्करी के पक्ष में पट्टा लिखना और दुर्गालाल लश्करी के द्वारा एक अपंजीकृत तहरीर के माध्यम से स्वयं को विक्रय करना बताते हैं । ये दोनों ही दस्तावेज सम्पत्ति अन्तरण के लिए विधिक दस्तावेज नहीं हैं । इस कारण वादग्रस्त आराजी में उनको भी खातेदार नहीं माना जा सकता । वादीगण यदि दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद को सिद्ध नहीं कर पाये हैं तो इस आधार पर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते । भूमिधारक इस कम में निमयानुसार विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

20. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

21. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2008 बहाल रखा जाता है ।

22. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 37/08

1. करतार सिंह आत्मज श्रीपाल सिंह आयु 50 वर्ष जाति सख निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मंगल सिंह आत्मज करतार सिंह
   1/2. सुधा सिंह आत्मज करतार सिंह
   1/3. कालू उर्फ सुखवेन्द्र सिंह आत्मज करतार सिंह जातियानर सिख निवासीगण ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती चन्दन कौर बेवा श्री करतार सिंह जाति सिख निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
   1/5. श्रीमती मितो पत्नी श्री अमीर सिंह जाति सिख निवासी कालपुरिया तहसील व जिला बून्दी ।
   1/6. श्रीमती जीतो पत्नी री बलवेन्द्र सिंह जाति सिख निवासी ग्राम गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी ।
   1/7. रीमती बिरो बेवा श्री मोहन सिंह जाति सिख निवासी ग्राम मोरो जिला जालन्धर (पंजाब) ।
   1/8. श्रीमती पोली पत्नी श्री बाज सिंह जाति सिख निवासी बावडी खेडा तहसील व जिला बून्दी ।
   1/9. रजवेन्द्र कौर पत्नी श्री सर्वजीत सिंह जाति सिख निवासी मण्डावरी तहसील व जिला बून्दी ।
   1/10. श्रीमती कुलवन्त कौर पत्नी श्री गुरूदयाल सिंह जाति सिख निवासी बिसरामा की झौपडियॉ (बालापुरा के पास) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/11. श्रीमती परमजीत कौर उर्फ चुग्गो पत्नी श्री गोपाल सिंह जाति सिख निवासी पंजाबी नगर तहसील व जिला भरतपुर ।
2. बक्षीस सिंह आत्मज श्री पाल सिंह जाति सिख निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. लालचन्द आत्मज स्वर्गीय श्री घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।

2. नन्द लाल आत्मज स्वर्गीय श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री स्वर्गीय श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
4. चरतभुज आत्मज श्री छोगा लाल जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड़ तहसील व जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2008 अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 267/दावा/2006

1. करतार सिंह आत्मज श्रीपाल सिंह आयु 50 वर्ष जाति सख निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मंगल सिंह आत्मज करतार सिंह
   1/2. सुधा सिंह आत्मज करतार सिंह
   1/3. कालू उर्फ सुखवेन्द्र सिंह आत्मज करतार सिंह जातियानर सिख निवासीगण ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती चन्दन कौर बेवा श्री करतार सिंह जाति सिख निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
   1/5. श्रीमती मितो पत्नी श्री अमीर सिंह जाति सिख निवासी कालपुरिया तहसील व जिला बून्दी ।
   1/6. श्रीमती जीतो पत्नी श्री बलवेन्द्र सिंह जाति सिख निवासी ग्राम गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी ।
   1/7. रीमती बिरो बेवा श्री मोहन सिंह जाति सिख निवासी ग्राम मोरो जिला जालन्धर (पंजाब) ।
   1/8. श्रीमती पोली पत्नी श्री बाज सिंह जाति सिख निवासी बावडी खेडा तहसील व जिला बून्दी ।
   1/9. रजवेन्द्र कौर पत्नी श्री सर्वजीत सिंह जाति सिख निवासी मण्डावरी तहसील व जिला बून्दी ।
   1/10. श्रीमती कुलवन्त कौर पत्नी श्री गुरूदयाल सिंह जाति सिख निवासी बिसरामा की झौपडियॉ (बालापुरा के पास) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/11. श्रीमती परमजीत कौर उर्फ चुग्गो पत्नी श्री गोपाल सिंह जाति सिख निवासी पंजाबी नगर तहसील व जिला भरतपुर ।
2. बक्षीस सिंह आत्मज श्री पाल सिंह जाति सिख निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. लालचन्द आत्मज स्वर्गीय श्री घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
2. नन्द लाल आत्मज स्वर्गीय श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री स्वर्गीय श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
4. चरतभुज आत्मज श्री छोगा लाल जाति ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2008 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 22.10.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र नारानीवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा, श्री कैलाश गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2008 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 22.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

22.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा